भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सूचना प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचनाएं
25 मार्च 2010

सू० प्रा०–47/2007–344—बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की धारा–92(a) एवं (b) के अन्तर्गत विकास आयुक्त, बिहार, पटना को बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना के निदेशक पर्षद के निदेशक एवं अध्यक्ष के पद पर पदेन नियुक्त किया जाता है।

2. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 116 दिनांक 18 दिसम्बर 2007 को तद्नुसार संशोधित समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आर० बी० चौधरी, उप सचिव।

21 अप्रील 2010

सं० सू० प्रा०–94/2010–460—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 12/प०(क०) 1008/2010 का०–3033, दिनांक 4 अप्रील 2010 द्वारा श्री राकेश मोहन, बि०प्र०से० की सेवा महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन के पद पर पदस्थापन हेतु सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सौंपी गयी है। उक्त अधिसूचना के आलोक में श्री राकेश मोहन को महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रकाश कुमार, उप सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचना
6 मई 2010

सं.सं.–1/रा.स्था. (2)–सह.से. (व्य.)–012/2004 सह./1887—श्री त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा, संयुक्त निबंधक, स.स., भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 228, 229 के तहत् दिनांक 1 फरवरी 2010 से 7 मार्च 2010 तक कुल 35 दिन की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रमाणित किया जाता है, कि श्री सिन्हा उक्त अवधि में अवकाश पर नहीं रहते तो अपने पद पर बने रहते।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
ललन राय, उप सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
17 जून 2010

संख्या, वि0स0 (समिति)-03/07-1189/एम0—मंत्रिमंडल (संसदीय कार्य) विभाग के पत्रांक 828, दिनांक 26 अगस्त 2006 तथा संसदीय कार्य विभाग के संकल्प संख्या 700, दिनांक 11 अक्तूबर 1985 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत, विभागीय अधिसूचना, संख्या 3106 /एम0, दिनांक 19 दिसम्बर 2006 द्वारा पूर्व गठित ''विभागीय परामर्शदातृ समिति'' को निम्नांकित रूप में पुनर्गठित किया जाता है ।